



III/मि.राजस्व/रीवा/भू-राजस्व/2017/2139

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक

/2017 जिला-रीवा

- 1- बूटा पुत्री रामभद्र पति रामप्रताप
निवासी - बाबूपुर जिला सतना म.प्र.
- 2- इन्द्रकली पुत्री रामभद्र पत्नी गोविन्द प्रसाद
निवासी - ग्राम बघेडी तहसील त्योथर
जिला - रीवा म.प्र.
- 3- सुरेश पुत्र जगत देव
निवासी - बकिया जिला सतना (म.प्र.)

..... आवेदकगण

विरुद्ध

प्रवीण पुत्र श्री प्रेमलाल उर्फ रामकिशोर
निवासी - कंदोहा हाल मुकाम शेंती राहणार
35,38 नेताजी सोसायटी गोरेबाडा नागपुर
(महाराष्ट्र)

..... अनावेदक

**न्यायालय तहसीलदार तहसील सेमरिया जिला रीवा द्वारा प्रकरण
क्रमांक 28/ए-6/2016-17 में पारित आदेश 22.06.2017 के विरुद्ध
मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।**

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान
हेतु प्रस्तुत है :-

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, अनावेदक द्वारा संहिता की धारा 51 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र अधीनस्थ
न्यायालय तहसीलदार तहसील सेमरिया के समक्ष इस आशय से प्रस्तुत किया।
कि ग्राम कंदोहा नामान्तरण पंजी वर्ष 2016-17 क्रमांक 02 में पारित आदेश दिनांक
02.03.2017 एवं नामान्तरण पंजी क्रमांक 02 वर्ष 2016-17 ग्राम थनवरिया में
पारित आदेश दिनांक 02.03.2017 को पुर्नविलोकन में लिये जाने हेतु प्रस्तुत किया
गया।
2. यहकि, अनावेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र के तहसील न्यायालय द्वारा
प्रकरण क्रमांक 28/ए-6/2016-17 पर पंजीबद्ध किया जाकर कार्यवाही प्रारंभ की
गयी। इस आवेदन पत्र में अनावेदक द्वारा बताया गया कि ग्राम कंदोहा की भूमि
खसरा क्रमांक 101 रकवा 0.166 है0 आराजी नं. 102 रकवा 0.360 है0 आराजी

3

श्री. शशि
10-7-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

2
श्री. शशि (श)
10-7-17

3

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक III/निगरानी/रीवा/भू0रा0/2017/2139

बूटा आदि विरुद्ध प्रवीण

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिमाषकों के हस्ताक्षर
01-3-2019	<p>आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार सेमरिया जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 28/ए-6/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 22-6-2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 2-5-2019 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p><i>hans -</i> सदस्य 01.3.19</p>